उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या:2668/VII-1/2018/7 सोपस्टोन/18
देहरादून,दिनांक: 26 नवम्बर, 2018

552
30-11-18

कार्यालय ज्ञाप

जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम करूली में 10.698 है० भूमि में उप खनिज सोपस्टोन का खनन पट्टा चाहने हेतु मै० बलराज एसोसिएटस, भवन सं० 12, वार्ड पियाना, तहसील व जनपद पिथौरागढ़ के आवेदन पत्र दिनांक 1.12.2015 के क्रम में इस आशय पत्र (letter of Intent) के माध्यम से राज्य सरकार मै० बलराज एसोसिएटस, भवन सं० 12, वार्ड पियाना, तहसील व जनपद पिथौरागढ़ के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम करूली में सोपस्टोन के खनन पट्टा हेतु आवेदित 10.698 है० भूमि के सापेक्ष 7.784 है० भूमि में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 (यथासंशोधित, 2017) के प्रावधानानुसार उपखनिज सोपस्टोन का 50 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत करने की मंशा रखती है। आवेदक यदि उक्त खनन पट्टा लेने हेतु सहमत हों तो निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन पत्र प्राप्ति के छः माह में प्रस्तुत करें, जिससे खनन पट्टे की औपचारिक स्वीकृति जारी की जा सके :–

1. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, यथासंशोधित, 2017 के नियमों/प्रतिबन्धों पर लिखित सहमति पत्र।
2. उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रस्तर 3(दो)(5) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा खनन योजना संबंधित खान अधिकारी/उप निदेशक (खनन) के समक्ष ₹ 20,000/–की धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम् से जमा कराने के उपरान्त चालान की प्रति के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
3. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रस्तर–3(ग्यारह) में शासनादेश संख्या–1589/VII-1/2015/68–ख/2015, दिनांक 7 अक्टूबर 2015 के द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार, बैक गारन्टी ₹ 1.00 लाख मैनुअल माईनिंग एवं ₹ 2.00 लाख मशीनीकृत माईनिंग हेतु निदेशक के पक्ष में प्रस्तुत करनी होगी ।
4. उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रस्तर–7 के अनुसार पट्टाधारक को खनन पट्टे में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का0आ0 2601 (अ) दिनांक 07 अक्टूबर 2014 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या–1621/VII-1/212–ख/2014, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
5. उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रस्तर–8 के अनुसार आवेदक को प्रतिभूति धनराशि ₹ 10,000/– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में बन्धक करना होगा।
6. आवेदक को खनन पट्टे का जी०एस०टी नम्बर देना अनिवार्य होगा।
7. राजस्व विभाग द्वारा निजी भूमि धारकों की सूची खसरा विवरण सहित साफ्ट कापी एवं हार्ड कापी ए–4 साईज में निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध करायी जाएगी, जिसको खनन पट्टा विलेख में सम्मिलित किया जाना होगा।
8. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की 0.299 है० भूमि में खनन कार्य निषिद्ध रहेगा।
9. आवेदक खनन कार्य के दौरान स्थल में उपलब्ध सार्वजनिक सम्पत्ति, आवासीय भवन, सार्वजनिक स्थल भवन आदि को हानि नहीं पहुंचायेगा, हानि पहुंचाने की स्थिति में पट्टाधारक स्वयं जिम्मेदार होगा।
10. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर, वन प्रभाग बागेश्वर के पत्र संख्या–2045/9–2, दिनांक 04.01.2015 के अनुसार प्रश्नगत भूमि में उपलब्ध विभिन्न प्रजाति व व्यास के 121 वृक्षों की सुरक्षा का दायित्व आवेदक का होगा। वृक्षों की सुरक्षा वन विभाग द्वारा निहित प्राविधानों के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।
11. प्रस्तावित क्षेत्र का सीमाबन्धन भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के अधिकारियों द्वारा राजस्व विभाग तथा प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग के प्रतिनिधि के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। सीमाबन्धन के समय यदि क्षेत्र का कोई भाग आपत्तिजनक पाया जाता है तो उसे पृथक कर दिया जायेगा, जिसके फलस्वरूप क्षेत्र अथवा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वह आवेदक को मान्य होगा।

12. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1457/VII-1/2017/68–ख/15, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 के बिन्दु सं0 6(तीन)(क)(2) के अनुसार आशय पत्र की समस्त शर्तों को पूर्ण किये जाने के पश्चात् निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की स्पष्ट संस्तुति पर शासन द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा, परन्तु पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य का प्रारम्भ संबंधित भू–स्वामियों की सहमति/अनापत्ति के उपरान्त ही किया जायेगा।
13. आवेदक को खनन एवं राजकीय बकाया न होने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अद्यतन अदेयता प्रमाण–पत्र तथा चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. आवेदक को आयकर/आयकर विवरणी जमा करा दिये जाने के संबंध में आयकर अधिकारी का अद्यतन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आयकर देय नहीं हो तो इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. आवेदक द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

बृजेश कुमार संत
अपर सचिव

<u>संख्या: 2660 (1)/VII-1/2018 तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या–839/मु०ख०/18/बागे०/भू०खनि०ई०/2015–16, दिनांक 12 जुलाई, 2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं निम्न निर्देशों के साथ कि उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 यथासंशोधित, 2017 के प्रावधानानुसार खनन पट्टा हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–
   (क) इस आदेश द्वारा स्वीकृत क्षेत्र का सीमाबन्धन प्रत्येक दशा में इस आदेश की दिनांक से 60 दिवस में करा लिया जाय ताकि समयान्तर्गत पट्टाधारक द्वारा पट्टाविलेख का निष्पादन कराया जा सके।
   (ख) खनन पट्टा क्षेत्र के सीमाबन्धन की सूचना मय सीमाबन्धन रिपोर्ट, मानचित्र आदि के सीमाबन्धन पूर्ण किये जाने की दिनांक से 10 दिवस में शासन को प्रेषित कर दी जाये।
   (ग) सीमाबन्धन रिपोर्ट में यह प्रमाण पत्र अवश्य दिया जाये कि खनन पट्टे पर स्वीकृत क्षेत्र में सम्मिलित वन भूमि के अलावा कोई अन्य वन भूमि खनन पट्टा हेतु सीमाबन्धित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं की गई है तथा सीमाबन्धित क्षेत्र की परिधि से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर है।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. मै० बलराज एसोसिएटस, भवन सं० 12, वार्ड पियाना, तहसील व जनपद पिथौरागढ़।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव